

प्रीषिका,

वासु चौधरी,
अपर सिविल जज (जू०डि०)
न्यू कोर्ट सं०-२, मुरादाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय- विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि धारक होने के आधार पर तीन
अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी ने UP JS 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अंतर्गत सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी० (सी०ए०डब्ल्यू) मुरादाबाद के पद पर दिनांक-20.12.2019 को पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थिनी ने नियुक्ति से पूर्व ही विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) की उपाधि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से 2012 में उत्तीर्ण की हुई है, जिसकी अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्नक सं०-1 व 2 के रूप में संलग्न है।

1. प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-21.03.2002 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91 टीसी दिनांक-13 मई 2009 तथा सपठित शासन के पत्र सं०-1705/2-4-2011-45(12)/91 टीसी दिनांक-13.01.2013 द्वारा मा० शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक-21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की गयी थी।

2. इसी प्रकार रिट याचिका सं०-सी० 19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठाकुर बनाम गुजरात राज्य व अन्य, में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक-01.04.2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक-15.11.2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक-21.03.2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल०एल०एम०) धारित करने वाले उ०प्र० न्यायिक सेवा एवं उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश सं०-2/2015/355/2-4/2015-45 (12)/91 टीसी दिनांक-27.03.2015

(संलग्नक 3) द्वारा 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

प्रार्थिनी उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु योग्य है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि विधि स्नातकोत्तर (एल0एल0एम0) की उपाधि धारक होने के आधार पर दिनांक-20.12.2019 से मेरे सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 (सी0ए0डब्ल्यू) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया

(Handwritten Signature)
25.08.2021
(वासु चौधरी)

दिनांक-25.08.2021

जे0ओ0 कोड-यू0पी0 3661

अपर सिविल जज (जू0डि0)

न्यू कोर्ट सं0-2, मुरादाबाद।

संलग्नक-

1. एल0एल0एम0 की प्रथम वर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित व स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
2. एल0एल0एम0 की अंतिम वर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित व स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
3. एल0एल0एम0 डिग्री की प्रमाणित व स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
4. शासनादेश सं0-2/2015/355/2-4/2015-45 (12)/91 टीसी दिनांक-27.03.2015 की प्रतिलिपि।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पत्रांक-

/2021 (प्रशा0) मुरादाबाद

दिनांक-

अग्रसारित,

महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

जनपद न्यायाधीश,

मुरादाबाद।

क्रमांक
Serial No. 3661



क्रमांक: 401024
Roll No.
अनुक्रमसंख्या 10-de-1416
Regn. No.

कुरुक्षेत्र - विश्वविद्यालयः

(1956 तम-वर्षगत-राज्यविधायिका-अधिनियम-XII-द्वारा स्थापितः)
("ए" श्रेणी, नाक-प्रत्यायिप्तः)

मास्टर ऑफ लॉज

इदमत्र प्रमाणीकृत्यते यत् वासु चौधरी नामा/नाम्नी
श्री के. पी. सिंह नाम्नः पुत्रः/पुत्री 2012 तमे वर्षे
अस्य विश्वविद्यालयस्य विधिः विभागतः/दूरवर्ती-शिक्षा-निदेशालय परीक्षां द्वितीय
सख्यं श्रेण्यां समुत्तीयं मास्टर-ऑफ-लॉज पदवीं प्राप्तवान्/प्राप्तवती-इति ।

Kurukshetra University

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
("A" Grade, NAAC Accredited)

Master of Laws

Self Attested
Chauhan
25.08.2012

This is to certify that Vasu Chaudhary
son/daughter of Shri K. P. Singh, and
of the Department of Law/Directorate of Distance Education has
obtained the degree of Master of Laws in this University having
passed the examination for the said degree held
in May 2012, in the Second Division.

✓
C.I.M.
MORABAD

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RESULT-cum-DETAILED MARKS CARD LL.M (PREV) EXAM MAY, 2011

Name **VASU CHAUDHARY**

Father's Name **Shri K P SINGH**

Mother's Name **Smt. VIJLA SINGH**

DETAIL OF MARKS				
Sr. No.	Subject	Marks Obtained	Minimum Pass Marks	Maximum Marks
1.	L001 LAW SOC. TRANSFORM. & JUD. PROC. IN INDIA	80	050	100
2.	L002 INDIAN CONST. LAW & THE NEW CHALLENGES	60	050	100
3.	L004 LEGAL THEORY	60	050	100
4.	L005 PRINCIPALS OF STATUTORY INTERPRATION	63	050	100
5.	LC01 CORPORATE LAW & MANAGEMENT	52	050	100
6.	LC02 LAW OF CONTRACTUAL TRANSACTIONS	55	050	100
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	Grand Total	0370	0300	0600

Self Attended
Chaudhary
25.08.2021

C.J.M.
MORADABAD

RESULT PASSED & HAS OBTAINED THREE HUNDRED SEVENTY MARKS

DATED SEP 06, 2011
KURUKSHETRA

Checked by 1
(Full Signature)

(Signature)

(Signature)
Assistant

(Signature)

Date of issue _____

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शर्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० शर्टी आयोग की संस्तुति एवं तत्क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उक्त संस्तुति को दिनांक 21-3-2002 से स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित एवं चयन के समय ही विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1363/दो:4-2009-45(12)/91टी.सी., दिनांक 13 मई, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-1705/दो:4-2011-45(12)/91टी.सी., दिनांक 03 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-19/2012, भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम् गुजरात राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 एवं तद्क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-16117 / IV f 82 (loose), दिनांक 15-11-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-3-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल०एम०) धारित करने वाले उ० प्र० न्यायिक सेवा एवं उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या- वे० आ०-2-323/दस-2015, दिनांक 25-3-15 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

....2

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-2/2015/355(1)/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी. तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, 30 प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, आडिट, प्रथम एवं द्वितीय, 30 प्र0, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, 30 प्र0 शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30 प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30 प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 8- समस्त अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, 30 प्र0 ।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त(सामान्य) अनुभाग-1, 2 एवं 3, 30 प्र0 सचिवालय।
- 11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-5/ वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, 30 प्र0 सचिवालय।
- 12- इरला चेक अनुभाग/ इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, 30 प्र0 सचिवालय।
- 13- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)

अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।